GENERAL FEES PAYABLE DURING THE SESSION

S.No.	Fees	Amount
1	Admission Fee	Rs. 900/-
2	Amalgamated Fund	Rs. 50/-
3	College Exam Fee	Rs. 200/-
4	Identity	Rs. 50/-
5	Student Aid Fee	Rs.10/-
6	Physical Training Fee	Rs. 150/-
7	College Magazine Fee	Rs. 150/-
8	Union Fee	Rs. 200/-
9	Social Gathering	Rs. 340/-
10	Medical Fee	Rs. 50
11	Sports Fee	Rs. 150/-
12	P.T.A.	Rs. 70/-
13	Student Group Insurance Premium	Rs. 50/-
14	Student Development Fee	Rs. 180/-
15	Vehicle Stand Development Fund	Rs. 100/-
	Total	**Rs. 2650/-**

Miscellaneous Fees***

1.	Migration Fee (only from students from CBSE or other Univ. as charged by R.S.U. Raipur)	-
2	Refundable Caution Money (From Students who are seeking admission for the firs time in college)	Rs. 500/-
3	Alumni Fund (Only from Final year students of UG or PG PGDCA & B.Ed.)	Rs. 200/-

Note :

1. Fees to be taken as per university directives
2. For fresher group insurance will be applicable from August onwards
3. To be paid apart from above mentioned fees as per eligibility of student
4. Details of fees are given Class wise separately.
5. Once a student takes admission in the college, she has to pay the fee of the whole academic session even if she discontinues in the middle of session. The total fee paid to be the institution is non-refundable (except the caution money) under any circumstances.
6. No Tuition Fee for U.G. courses is taken by the college.
7. Students seeking admission to this institution are required to submit a photocopy of their Aadhar Card along with the form.
8. The photocopy of cover page of their passbook should also be submitted along with the form.
9. For New Admission in 2nd & 3rd year + Rs.900
10. Fee inclusive of General Fee, Course Fee, Lib, Lab etc.
11. Hostel fee Room charges full - 20000/-
12. Mess fee Quarterly (7500 + 7500 + 7500 + @2500 for actual period) July, October, January, April

NEW ADMISSION 2021-23

POST GRADUATE COURSES

S.No.	Fee	*M.Sc. (Physics, Chemistry, Botany, Zoology)	M.Sc. (Textile & Clothing)	M.Sc (Computer Sc.)	*M.Sc. (Maths)
1	General Fee	2650	2650	2650	2650
2	College Dev. Fee	2500	2000	2500	3000
3	Library	1500	1000	1500	1500
4	Lab Fee	4000	3000	5700	4500
5	Establishment Fee	4000	1850	3000	5350
6	Tuition Fee	4000	2000	2000	2000
7	Lab Dev. Fee	2350	1000	3650	-
	TOTAL	**21000**	**13500**	**21000**	**19000**

S.No.	Fee	M.Sc. (Microbiology)	M.Sc. (Human Devp.)	M.Sc. (Biotechnology)	*M.Com.
1	General Fee	2650	2650	2650	2650
2	College Dev. Fee	2500	1500	2500	3000
3	Library	1500	1000	1500	1500
4	Lab Fee	9000	-	6850	-
5	Establishment Fee	4000	3000	4000	4000
6	Tuition Fee	7000	-	7000	5850
7	Lab Dev. Fee	5350	1850	6500	-
	TOTAL	**32000**	**10000**	**31000**	**17000**

S.No.	Fee	P.G.D.C.A.
1	General Fee	2650
2	College Dev. Fee	2500
3	Library	1000
4	Lab Fee	4000
5	Establishment Fee	2000
6	Tuition Fee	2850
7	Lab Dev. Fee	3000
	TOTAL	**18000**

S.No.	Fee	B.Ed
1	General Fee	2650
2	Refundable Caution Money	1500
3	Good Category Incentive	1500
4	Tuition Fee	28200
5	Alumni Fees	200
6	Growth & Dev. Charges	2000
	TOTAL	**36550**

*Subject to directives of the office of the Admission and Fee Regulatory Committee for unaided private professinal instutions, Directorate of Technical Education C.G. Raipur (Can be changed)

FEE BREAKUP BATCH 2020-23

UNDER GRADUATE COURSES (Part - II)

S.No.	Fee	B.Sc. (Maths and Biology Group)	B.Sc. (Home Science)	B.Sc. (Computer Science)
1	General Fee	2650	2650	2650
2	College Dev. Fee	2000	1500	2500
3	Library Fee	1500	1500	1500
4	Lab Fee	1500	1000	4000
5	Establishment Fee	3850	2150	3900
	TOTAL	**11500**	**8800**	**14550**

S.No.	Fee	B.Sc. (Microbiology)	B.Sc. (Biotechnology)	B.Com.
1	General Fee	2650	2650	2650
2	College Dev. Fee	2500	2500	3500
3	Library Fee	1500	1500	1500
4	Lab Fee	4000	5000	1000
5	Establishment Fee	3900	15900	3900
	TOTAL	**14550**	**27550**	**12550**

S.No.	Fee	B.Com. (Computer App.)	B.C.A.
1	General Fee	2650	2650
2	College Dev. Fee	3500	1500
3	Library Fee	1500	1000
4	Lab Fee	2000	4500
5	Establishment Fee	4400	4400
	TOTAL	**14050**	**14050**

* Subject to directives of the office of the Admission and Fee Regulatory Committee for unaided private professinal instutions, Directorate of Technical Education C.G. Raipur (Can be changed)
* For New Admission in 2nd & 3rd year + Rs.1000

BATCH : 2020-22

POST GRADUATE COURSES

S.No.	Fee	M.Sc. (Physics, Chemistry, Botany, Zoology)	M.Sc. (Textile & Clothing)	M.Sc (Computer Sc.)	M.Sc. (Maths)
1	General Fee	2650	2650	2650	2650
2	College Dev. Fee	4050	2000	2850	3850
3	Library	2000	1000	2000	3000
4	Lab Fee	4000	3000	6700	-
5	Establishment Fee	2000	1000	2000	4000
6	Tuition Fee	4000	2850	4800	5500
7	Lab Dev. Fee	2300	1000	3000	-
	TOTAL	**21000**	**13500**	**24000**	**19000**

S.No.	Fee	M.Sc. (Microbiology)	M.Sc. (Human Devp.)	M.Sc. (Biotechnology)	M.Com.
1	General Fee	2650	2650	2650	2650
2	College Dev. Fee	2500	2000	2500	1500
3	Library	1000	1500	1000	2000
4	Lab Fee	9000	1250	6300	4800
5	Establishment Fee	4000	2600	4000	4050
6	Tuition Fee	6300	-	6550	-
7	Lab Dev. Fee	6550	-	8000	-
	TOTAL	**32000**	**10000**	**31000**	**15000**

S.No.	Fee	P.G.D.C.A.	B.Ed
1	General Fee	2650	2650
2	Refundable Caution Money	500	1500
3	Good Category Incentive	1500	1500
4	Tuition Fee	8500	27250
5	Alumni Fees	200	200
6	Growth & Dev. Charges	7650	1250
	TOTAL	**21000**	**34350**

FEE STRUCTURE

(Amount in Rs.)

S.No	Course	New Admission 21-24 (Part-I)			For Batch 20-23 (Part-II)		
		Ist Inst.	IInd Inst.	Total	Ist Inst.	IInd Inst.	Total
1	BSc. (Maths)	8000	5000	13000	8000	5000	13000
	B.Sc. (Biology)	9000	4000	13000	9000	4000	13000
2	B.Sc. (H.Sc.)	3500	3500	7000	5000	4000	9000
3	B.Sc. (Compu Sc.)	10000	7000	17000	10000	7000	17000
4	B.Sc. (M.B.)	10000	7000	17000	10000	7000	17000
5	B.Sc.(B.T.)	15000	13000	28000	15000	13000	28000
6	B.Sc. (I.M.B.)	10000	6500	16500	10000	6500	16500
7	B.Com	10000	3500	13500	10000	3500	13500
8	B.Com (Comp. App.)	12000	5000	17000	10000	7000	17000
9	BCA	12000	5000	17000	12000	5000	17000
10	B.A.	3000	2500	5500	3000	2500	5500
		2021-23			2020-22		
11	M.Sc. (P C B Z)	12000	9000	21000	12000	9000	21000
12	M.Sc. (Maths)	10000	9000	19000	10000	9000	19000
13	M.Sc. (T and C)	8000	5500	13500	8000	5500	13500
14	M.Sc. (M.B.)	18000	14000	32000	18000	14000	32000
15	M.Sc. (B.T.)	18000	15000	33000	18000	13000	31000
16	M.Sc. (C.S.)*	11000	10000	21000	13000	11000	24000
17	M.Sc. (H.D..)	6000	4000	10000	6000	4000	10000
18	M.Com	10000	5000	15000	10000	7000	17000
19	B.Ed.	19500	17050	36550	19100	15250	34350
20	PGDCA*	11000	7000	18000	12000	9000	21000

* Only for last year, one time relief was given to M.Sc.(C.S.) & PGDCA

S. No	Course	For Batch 19-22 (Part-III)		
		Ist Inst.	IInd Inst.	Total
1	B.Sc. (Maths)	7500	5500	13000
	B.Sc. (Biology)	7500	5500	13000
2	B.Sc. (H.Sc.)	5000	4000	9000
3	B.Sc. (Compu. Sc.)	11000	6000	17000
4	B.Sc. (M.B.)	11500	6000	17500
5	B.Sc.(B.T.)	15000	13000	28000
6	B.Com	10000	5000	15000
7	B.Com (Comp. App.)	11000	6000	17000
8	BCA	9500	5000	14500
9	B.Sc. (IMB)	10000	6500	16500

REMARKS

- For Fee details refer fee break up.
- For new admissions in Part II & III, admission fees of Rs. 900/- is payable (additionally).
- 1st installment payable at the time of admission.
- 2nd installment payable by 15th Nov. 2021.
- Private students with practical subjects Rs. 5000/- is payable per year & without practical subjects Rs. 3000/- is payable per year.
- Alumni Fees Rs. 200/- payable in UG Final Year or PG Final Year including PGDCA and B.Ed.

BHILAI MAHILA MAHAVIDYALAYA

Hospital Sector, Bhilai Nagar (C.G)

Tel: 0788 2242699, 2210078; Website: www.bmmbhilai.com

Email : bmahila@rediffmail.com

Student Name	: ANURADHA MANIKPURI	Receipt No.	: 2021-22/A /3453/13
Mother Name	: MAMTA MANIKPURI	Receipt Date	: 14-01-2022
Father Name	: SANTOSH DAS MANIKPURI	Payment Mode	: CASH
Course/Class	: B.SC. (HOME SCIENCE) 3 YEAR A	Cheq/Ch. No	:
Student Id	: 1190786	Cheq/Ch. Date	:
Admission No	: 462	Balance Amount	: 0.00
Remarks	:	Contact No.	: 7389339484

S. No.	Particulars	Amount
1	College Development Fee	1350.00
2	Establishment Fee	2650.00
3	Lab Fee	700.00
4	Library Fee	1500.00

Total Amount(In Words) : Six Thousand Two Hundred Rupees Only	Total Amount : 6200.00 : : Paying Amount : 6200.00

Bhilai Mahila Mahavidyalaya Bhilainagar

Authorised Signatory

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम– दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)
रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.).491001
ई मेल : registrar@durguniversity.ac.in *वेब साइट : www.durguniversity.ac.in* *दूरभाष : 0788-2359100*

क्र. 1212/प्रवेश/2021 दुर्ग, दिनांक 28/07/2021

//अधिसूचना//

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटलनगर द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 1684/आउशि/सम./2021 दिनांक 14.07.2021 सत्र 2021–22 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2021–22 के **स्नातक भाग–01** में नियमित प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राओं से ऑनलाईन पद्धति से प्रवेश आवेदन फार्म भराया जाना है, जिसकी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र.	आवेदन	दिनांक
01	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि (प्राचार्य की अनुमति से)	02.08.2021 से 20.08.2021
02	मेरिट सूची जारी करने की तिथि	21.08.2021 से 25.08.2021
03	संबंधित महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रकिया पूर्ण करने की तिथि	22.08.2021 से 31.08.2021
04	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि (कुलपति की अनुमति से केवल रिक्त सीटों पर)	01.09.2021 से 15.09.2021 उक्त तिथि में प्रवेश आवेदन करने वाले छात्रों को दिनांक 15.09.2021 तक संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

छात्र/छात्राओं हेतु निर्देश:–

- छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबबसाईट www.durguniversity.ac.in के Quick Links पर जाकर Online Admission 2021-22 पर Click कर अथवा http://durg1.ucanapply.com के माध्यम से **स्नातक प्रथम वर्ष** में प्रवेश हेतु ऑनलाईन प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे।
- छात्र/छात्राएं उपरोक्त लिंक के माध्यम से सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे तत्पश्चात यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त कर प्रवेश आवेदन फार्म भरेंगे।
- छात्र/छात्राएं कोविड–19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाईन पद्धति से भरे हुए प्रवेश आवेदन को संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे।
- प्रवेश फार्म ऑनलाईन पद्धति से भरने हेतु छात्र/छात्राएं छ.ग. शासन द्वारा सत्र 2021–22 के लिए जारी मार्गदर्शिका सिद्धांत का भलिभांति अवलोकन कर लेवें, तत्पश्चात ही प्रवेश आवेदन फार्म भरें, जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। छात्रों की सुविधा हेतु उक्त प्रवेश मार्गदर्शिका विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.durguniversity.ac.in पर उपलब्ध है साथ ही इस अधिसूचना के साथ भी संलग्न की जा रही है।
- छात्र/छात्राएं अब मोबाईल के माध्यम से भी प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे, इसके लिए उन्हें अपने अंतिम परीक्षा की अंकसूची (यदि प्राप्त नहीं हुई है तो इंटरनेट से प्राप्त की हुई प्रति) प्रमाणपत्र, फोटो, हस्ताक्षर आदि पहले से ही स्कैन करके रखना होगा जिससे अपलोड करते समय परेशानी न हो।
- प्रवेश आवेदन फार्म पूर्णतः निःशुल्क है। परन्तु यदि छात्र/छात्राएं इंटरनेट कैफे या सी.एस.सी. सेंटर जाकर प्रवेश फार्म भरवाते हैं तो उन्हें उनकी फीस का भुगतान स्वयं करना होगा।
- ऑनलाईन प्रवेश आवेदन करने के पश्चात आवेदन की एक प्रति संबंधित महाविद्यालय एवं एक प्रति संबंधित छात्र/छात्रा के आई.डी. पर अपलोड हो जाएगी जिसे छात्र कभी भी डाउनलोड अथवा प्रिंट कर सकते हैं।

- प्रवेश आवेदन फार्म आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित महाविद्यालयों में स्वीकार किए जायेंगे। महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित सीट संख्या के आधार पर आवेदनों की मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सीट रिक्त होने पर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन मंगाये जायेंगे।
- अधिभार के संबंध में प्रवेश मार्गदर्शिक सिद्धांत के बिन्दु क्र. 13 से 13.8 तक का अवलोकन किया जा सकता है। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- उक्त प्रवेश प्रकिया केवल स्नातक प्रथम वर्ष के लिए लागू है, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के पश्चात प्रारंभ किए जायेंगे।

➢ **यदि ऑनलाईन प्रवेश आवेदन फार्म भरते समय किसी प्रकार की समस्या आती है तो छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय के हेल्पलाईन नं. 9713387094/7225940167 पर फोन के माध्यम से अथवा <u>onlinehelp@durguniversity.in</u> पर ई–मेल कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।**

<u>महाविद्यालयों हेतु निर्देशः–</u>

- सत्र 2021–22 में आपके महाविद्यालय हेतु स्नातक भाग–01 में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पद्धति से आवेदन लिए जा सकेंगे।
- **<u>महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर लेवें कि संबंधित छात्र/छात्रा ने ऑनलाईन माध्यम से ही प्रवेश हेतु आवेदन किया हो। प्रवेश आवेदन फार्म केवल ऑनलाईन पद्धति से ही भरे जायेंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाईन प्रवेश आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।</u>**
- **<u>महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे संपूर्ण दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात प्रवेश पोर्टल पर जाकर संबंधित विद्यार्थी के डाटा को Admitted करना होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित छात्रों के आवेदन को संबंधित महाविद्यालय द्वारा Admitted करना अनिवार्य है। तत्पश्चात ही उनकी प्रवेश की प्रकिया पूर्ण मानी जायेगी।</u>**
- पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र की उपलब्धता पर महाविद्यालय अपने सूचना पटल एवं वेबसाईट दोनों पर मेरिट सूची जारी करें। मेरिट सूची जारी करने के पश्चात 31.08.2021 तक प्रवेश की प्रकिया पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- छात्र/छात्राओं द्वारा विषय समूह/नाम/पिता/माता का नाम/जन्म तिथि आदि के चयन में हुई त्रुटियों का सुधार संबंधित महाविद्यालय अपने लागइन पैनल के माध्यम से कर सकेंगे। किसी भी छात्र/छात्रा को अनावश्यक विश्वविद्यालय न भेजा जाए। महाविद्यालय अपने स्तर पर विश्वविद्यालय से छात्रों को होने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर छात्रों को उनके समाधान के संबंध में जानकारी दे सकते हैं।
- महाविद्यालयों को यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड पूर्व में प्रदान किया गया है, फिर भी यदि किसी महाविद्यालय के पास यह नहीं है तो वह विश्वविद्यालय से संपर्क कर इसे प्राप्त कर सकते हैं।
- किसी भी स्थिति में ऑफलाईन प्रवेश आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

संलग्नः– प्रवेश मार्गदर्शिका

आदेशानुसार

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय
दुर्ग, दिनांक 28/07/2021

पृ.क्र. 1213/प्रवेश/2021
प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/वित्त अधिकारी/उ.कु.स. परीक्षा/अकादमिक/गोपनीय एवं संबंधित प्रवेश कार्य सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
5. प्राचार्य, संबंधित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।
7. संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र/पत्रिकाएं दुर्ग/बेमेतरा/राजनांदगांव/कबीरधाम/बालोद को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्रों के आगामी अंक में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
-------00---------

No.: L-201.......22....1145
AD (K) /JD/ /DD
Section समन्वय
Date 6 JUL 2021 C.H.E

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भः– आपका ज्ञापन कमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06.2021

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

समन्वय
08/07/2021

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2021–22

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

द्वितीय

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2021-22

1. **प्रयुक्ति :-**

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

2. **प्रवेश की तिथि :-**

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-**

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-**

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5. (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा

किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक **''ख''** ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 **पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–** विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं मे गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा मे पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :–**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष *एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी.* की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

प्रवेश सूची :–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/–अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में ***15 सितम्बर*** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. **प्रवेश की पात्रता :–**

5.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–**

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के

विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधा पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल /बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रत होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चा ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 **स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–**

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रत होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश न दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संका के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय मे प्रवेश की पात्रता हो इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथ बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 **स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–**

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रम एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय ले बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर मे नियमित प्र की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व–भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरो के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर ***प्रथम वर्ष उत्तीर्ण*** आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्त आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 **विधि संकाय नियमित प्रवेश :–**

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–**

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, **अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी।** तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. **समकक्ष परीक्षा :–**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसे संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण सस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :–**

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस–सी./बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र

प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :–**

8.1 *स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।*

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 ***विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष*** में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9 **प्रवेश हेतु अर्हताएं :–**

9.1 **किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में** आगामी वर्ष/वर्षों में **पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।** यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा **27 वर्ष** मान्य की जाएगी। बी.पी.एड.एवं एम.पी.एड. के लिए निर्धारित आयु सीमा 25 एवं 28 वर्ष होगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :–**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–

स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

2 आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

21 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहॉ अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे विपरीत क्रम मे अन्य विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सबध में क्षैतिज आरक्षण के प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 <u>स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के</u> **<u>पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन</u>** के लिये <u>3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।</u> निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 **एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स**

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	15 प्रतिशत

करने वाले को

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता म –

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :–**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :–**

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम

ने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। ह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

शोध छात्र :–

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। **संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।**

16 **विशेष :–**

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरंक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम– दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)
रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.).491001

ई मेल : exam@durguniversity.ac.in *वेब साइट : www.durguniversity.ac.in* *दूरभाष : 0788-2359100*

//अधिसूचना//

क्रमांक 1419 /परीक्षा/सेमे./2022 दुर्ग, दिनांक 12.04.2022

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में सेमेस्टर परीक्षा–2022 (मई–जून) के स्नातकोत्तर कक्षाओं (M.A., M.Sc., M.Sc./M.A. Home Science, M.Com., M.S.W., M.Lib., B.P.Ed., B.Ed. M.Ed.) के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर (मुख्य/एटीकेटी/भूतपूर्व) एवं DCA, PGDCA, पी.जी. डिप्लोमा इन योगा एण्ड फिलोसॉफी–द्वितीय सेमेस्टर (मुख्य/एटीकेटी/भूतपूर्व), B.B.A. द्वितीय/चतुर्थ/षष्टम सेमेस्टर (मुख्य/एटीकेटी/भूतपूर्व) एवं LL.B. द्वितीय सेमेस्टर एवं भाग 02, 03 (द्वितीय सेमेस्टर–मुख्य/एटीकेटी/भूतपूर्व) एवं LL.B. भाग 01, 02, 03 (प्रथम सेमेस्टर–एटीकेटी) में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए ऑनलाईन माध्यम से विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.durguniversity.ac.in द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क (इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) जमा करने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र.	परीक्षा आवेदन	दिनांक
01	परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाईन द्वारा संपूर्ण परीक्षा आवेदन भरने की तिथि	18.04.2022 से 28.04.2022
02	परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित महाविद्यालयों में जमा करने की अंतिम तिथि	29.04.2022 तक
03	महाविद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों द्वारा जमा कराये गए आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी, नॉमिनल रोल, गोसवारा (न्यूमेरिकल रिटर्न), शुल्क सूची के साथ विश्वविद्यालय पहुंचाने की अंतिम तिथि	30.04.2022 तक

आवश्यक निर्देश:–

- कोविड–19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छात्र/छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एवं मास्क लगाकर ही संबंधित महाविद्यालय में अपने परीक्षा आवेदन की हार्डकापी जमा करेंगे।
- द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थी क्रमशः प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में प्रयोग की गई यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर लागईन कर परीक्षा फार्म भर सकेंगे।
- जिन छात्रों के परीक्षा परिणाम रोके गए/रूके हुए **(WH)** है, उन छात्रों के परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात परीक्षा आवेदन फार्म भर सकेंगे।
- परीक्षा फार्म में होने वाली त्रुटियों का सुधार महाविद्यालय के आई.डी. के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। छात्र–छात्रा परीक्षा फार्म में होने वाली त्रुटियों का सुधार संबंधित महाविद्यालय से निःशुल्क करा सकते हैं। यदि त्रुटियों के सुधार हेतु छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय आते हैं तो उन्हें त्रुटि सुधार राशि रू. 120/– शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।
- अध्यादेश क्रमांक 170 के प्रावधानों के तहत पात्र परीक्षार्थियों की हार्ड कॉपी (समस्त संलग्नकों के साथ) परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षण एवं प्रमाणित कर अग्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथि तक प्रेषित कर सहयोग प्रदान करना अपेक्षित है।
- यदि कोई परीक्षार्थी ऑनलाईन परीक्षा आवेदन फार्म भरा है और निर्धारित तिथि तक यदि वह अपनी हार्ड कापी संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं करता है तो उसकी परीक्षा आवेदन करने की वैधता समाप्त हो जावेगी तथा उनके द्वारा जमा की गई परीक्षा शुल्क की राशि भी वापस नहीं की जावेगी।
- समस्त संबंधित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस अधिसूचना में दिये गये निर्देशों की जानकारी अपने महाविद्यालय के सूचना पटल पर आवश्यक रूप से चस्पा करावें तथा समस्त संबंधित परीक्षार्थियों को इससे अवगत करावें ताकि उन्हें प्रक्रिया समझने में आसानी हो सके।
- उपरोक्त निर्धारित अंतिम तिथि उपरांत परीक्षा आवेदन फार्म भरने के संबंध में किसी भी प्रकार के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- परीक्षार्थी विषय/प्रश्नपत्र के चयन में सावधानी रखें। प्रश्नपत्र के चयन में त्रुटि होने पर संपूर्ण जवाबदारी संबंधित परीक्षार्थी की होगी।

क्रमशः– 02 ......

- परीक्षा हेतु आवेदन करते समय आने वाली कठिनाईयों पर हेल्पलाईन नं. **9713387094/ 7225940167** पर कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
- परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन भरने के पश्चात अपनी हार्डकापी संलग्नकों सहित संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे।
- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही परीक्षार्थी उक्त परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
- **परीक्षार्थियों द्वारा अग्रेषण शुल्क की राशि रूपये 30/– पृथक से संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगा। जिसकी पावती परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषण शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।**
- हार्डकापी जमा करने के समय किसी भी प्रकार के दस्तावेज की कमी पाये जाने पर आवेदन निरस्त हो जावेगा तथा फीस वापस नहीं होगी अतः संबंधित परीक्षार्थी इस बात का ध्यान रखें कि सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हो।
- महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित कर लेवें कि परीक्षार्थी के द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिये हैं। प्राचार्य की जिम्मेदारी है कि कृपया वे सूक्ष्मतापूर्वक परीक्षण करने के पश्चात निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में जमा करें।

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के नियमित छात्र–छात्राओं द्वारा भरे जाने वाले परीक्षा आवेदन पत्रों की कक्षा एवं शुल्क विवरणः–

क्र.	कक्षाएं जिनके परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने हैं	सेमेस्टर	परीक्षा शुल्क (प्रति सेमेस्टर)		
			नियमित	भूतपूर्व	ए.टी.के.टी.
01	बी.पी.एड./बी.एड.	द्वितीय सेमेस्टर	1190.00	1190.00	765.00
		चतुर्थ सेमेस्टर	1190.00	1190.00	765.00
02	बी.बी.ए.	द्वितीय सेमेस्टर	1330.00	1330.00	825.00
		चतुर्थ सेमेस्टर	1330.00	1330.00	825.00
		षष्टम सेमेस्टर	1330.00	1330.00	825.00
03	एम.लिब. एण्ड इन्फार्मेशन साईंस	द्वितीय सेमेस्टर	1235.00	1235.00	–
04	एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम./एम.ए.–एम.एस.सी. गृहविज्ञान	द्वितीय सेमेस्टर	1075.00	1075.00	650.00
		चतुर्थ सेमेस्टर	1075.00	1075.00	650.00
05	**केवल एम.ए.–भूगोल, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, चतुर्थ सेमे. एम.कॉम., चतुर्थ सेमे. एम.एससी. भौतिकशास्त्र, चतुर्थ सेमे. हेतु**	चतुर्थ सेमेस्टर **(प्रोजेक्ट/फील्डवर्क हेतु रू. 240 सहित)**	1315.00	1315.00	–
06	एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान	द्वितीय सेमेस्टर	1580.00	1580.00	650.00
		चतुर्थ सेमेस्टर **(प्रोजेक्ट हेतु रू. 240 सहित)**	1820.00	1820.00	–
07	**केवल एम.एससी. बॉयोटेक्नालॉजी चतुर्थ सेमे. एम.एससी. माइक्रोबायोलॉजी चतुर्थ सेमे. के ऐसे छात्र जो निम्न पात्रता रखते हों– atleast 65% or more marks in aggregrate in sem. I & II (Option for project work)**	**केवल चतुर्थ सेमे. के ऐसे परीक्षार्थियों हेतु जिन्होंने प्रोजेक्ट वर्क/थीसिस का चयन किया है। (प्रोजेक्ट/थीसिस रू. 240 सहित)**	1315.00	1315.00	–
08	एम.एस.डब्ल्यू.	द्वितीय सेमेस्टर	1230.00	1230.00	805.00
		चतुर्थ सेमेस्टर **(फील्डवर्क हेतु रू. 240 सहित)**	1470.00	1470.00	–
09	डी.सी.ए	द्वितीय सेमेस्टर	1440.00	1440.00	–
10	पी.जी.डी.सी.ए.	द्वितीय सेमेस्टर **(प्रोजेक्ट हेतु रू. 240 सहित)**	1680.00	1680.00	–
11	एलएल.बी. प्रथम वर्ष	द्वितीय सेमेस्टर	1170.00	1170.00	885.00
	एलएल.बी. द्वितीय वर्ष	द्वितीय सेमेस्टर	1170.00	1170.00	885.00
	एलएल.बी. तृतीय वर्ष	द्वितीय सेमेस्टर	1170.00	1170.00	885.00
	एलएलबी भाग–01, 02 एवं 03	प्रथम सेमेस्टर (एटीकेटी)	–	–	885.00
12	एम.एड.	द्वितीय सेमेस्टर	1535.00	1535.00	1110.00
		चतुर्थ सेमेस्टर **(थीसिस हेतु रू. 360 सहित)**	1895.00	1895.00	–
13	पी.जी. डिप्लोमा इन योगा एण्ड फिलोसॉफी	द्वितीय सेमेस्टर	1230.00	1230.00	–

क्रमशः– 03 .....

अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए आवश्यक टीपः–

1. पात्र परीक्षार्थियों की हार्ड कॉपी (समस्त संलग्नकों के साथ) परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षण एवं प्रमाणित कर अग्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथि तक प्रेषित कर सहयोग प्रदान करना अपेक्षित है।
2. परीक्षा शुल्क सूची / गोसवारा (न्यूमेरिकल रिटर्न) / नॉमिनल रोल प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in से डाउनलोड कर प्रयोग में लाया जाना है।
3. परीक्षार्थियों की पूर्व परीक्षाओं की अंकसूचियाँ (यदि अंकसूची अप्राप्त हो तो इंटरनेट से प्राप्त की गई अंकसूची) अनिवार्यतः संलग्न करवा कर ही आवेदन पत्र अग्रेषित किए जायें।
4. यदि अग्रेषणकर्ता अधिकारी द्वारा किसी परीक्षार्थी के आवेदन पत्र की हार्डकॉपी को पात्रता न होने पर भी अग्रेषित कर दिया जाता है तथा विश्वविद्यालय द्वारा बाद में परीक्षण किए जाने पर परीक्षार्थी का आवेदन निरस्त किया जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व अग्रेषणकर्ता अधिकारी का होगा।
5. **महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने लॉगइन आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर अपने महाविद्यालय के अन्तर्गत अध्ययनरत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन को Student Exam Form Verification पर जाकर ऑनलाईन माध्यम से भी वेरिफाई करेंगे। परीक्षार्थियों के आवेदनों को ऑनलाईन वेरिफाई नहीं करने की स्थिति में उनका प्रवेश पत्र जारी नहीं हो पायेगा, अतः ऑनलाईन माध्यम से परीक्षा आवेदन को संबंधित महाविद्यालय द्वारा वेरिफाई करना अनिवार्य है। तत्पश्चात ही उनके परीक्षा फार्म की हार्डकॉपी विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।**

अग्रेषणकर्ता अधिकारी के कार्यालय हेतु

महाविद्यालयों के प्राचार्य परीक्षार्थियों द्वारा जमा कराई गई कुल परीक्षा शुल्क की राशि का विवरण, गोसवारा, न्यूमेरिकल रिटर्न प्रपत्र एवं परीक्षार्थियों द्वारा जमा की गई हार्ड कापी (संलग्नकों सहित) **दिनांक 30.04.2022** तक जमा की जानी है।

आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र. 1420 / परीक्षा / सेमे. / 2022 — दुर्ग, दिनांक : 12.04.2022

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय / तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
4. जिलाधीश, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम।
5. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम।
6. वित्त अधिकारी / उ.कु.स. अकादमिक / स. कु. स्थापना / गोपनीय एवं संबंधित परीक्षा कार्य सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
7. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
8. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
9. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।
10. संपादक, समस्त स्थानीय समाचार पत्र, दुर्ग / बेमेतरा / बालोद / राजनांदगांव / कबीरधाम को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर)

उपकुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम– दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)
रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.).491001

ई मेल : exam@durguniversity.ac.in *वेब साइट : www.durguniversity.ac.in* *दूरभाष : 0788-2359100*

//अधिसूचना//

क्रमांक 1359 /परीक्षा/वार्षिक/21–22 दुर्ग, दिनांक 28/12/2021

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा आयोजित सत्र 2021–22 की स्नातक (नियमित/अमहाविद्यालयीन/भूतपूर्व/पूरक) परीक्षा एवं स्नातकोत्तर (अमहाविद्यालयीन) के परीक्षार्थियों से **ऑनलाईन पद्धति से** https://durg.ucanapply.com/smartexam/public/ अथवा www.durguniversity.ac.in के माध्यम से **मुख्य (वार्षिक) परीक्षा 2022** हेतु परीक्षा आवेदन फार्म भरने एवं शुल्क जमा करने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र	परीक्षा आवेदन	आवेदन करने की तिथि
1	परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाईन द्वारा संपूर्ण परीक्षा आवेदन जमा करने की तिथि (उक्त तिथि में **केवल स्नातक कक्षाओं के नियमित विद्यार्थी** ही परीक्षा आवेदन भर सकेंगे।)	01.01.2022 से 10.01.2022 तक
2	परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाईन द्वारा संपूर्ण परीक्षा आवेदन जमा करने की तिथि (उक्त तिथि में **केवल स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के अमहाविद्यालयीन (Private), भूतपूर्व एवं पूरक विद्यार्थी** ही परीक्षा आवेदन भर सकेंगे।)	11.01.2022 से 25.01.2022 तक
3	परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाईन द्वारा संपूर्ण परीक्षा आवेदन जमा करने की तिथि (**समस्त परीक्षार्थियों हेतु**) (**रू. 100/– विलंब शुल्क के साथ**)	26.01.2022 से 30.01.2022 तक
4	**परीक्षा फार्म त्रुटि सुधार करने की तिथि** (**रू. 120/–**) (यदि परीक्षार्थी विश्वविद्यालय आकर त्रुटि सुधार कराते हैं तो) ❖ नोट :– परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन में होने वाली त्रुटियों का सुधार निःशुल्क करा सकते हैं।	31.01.2022 से 04.02.2022 तक
5	**परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों सहित संबंधित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में जमा करने की तिथि**	05.02.2022 तक
6	**महाविद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों के जमा कराये गए आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी, नॉमिनल रोल, गोसवारा (न्यूमेरिकल रिटर्न), शुल्क सूची के साथ परीक्षा केन्द्रों में पहुंचाने की तिथि**	07.02.2022 तक
7	**परीक्षा केन्द्र द्वारा परीक्षार्थियों द्वारा जमा कराये गए आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी, नॉमिनल रोल, गोसवारा (न्यूमेरिकल रिटर्न), शुल्क सूची के साथ विश्वविद्यालय पहुंचाने की तिथि**	10.02.2022 तक

आवश्यक निर्देश:–

- आवेदन फार्म की हार्डकॉपी अनिवार्य दस्तावेजों सहित संबंधित महाविद्यालय में जमा करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अतः परीक्षार्थी अपने परीक्षा आवेदन की हार्डकॉपी की जांच स्वयं कर लेवें और यदि कोई त्रुटि हो तो संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि के मध्य जाकर होने वाली त्रुटि में सुधार करा लेवें।
- कोविड–19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छात्र/छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एवं मास्क लगाकर ही संबंधित महाविद्यालय में अपने परीक्षा आवेदन की हार्डकापी जमा करेंगे।
- परीक्षार्थी https://durguniversity.in या www.durguniversity.ac.in पर जाकर Quick Link में दिए गये Link - **Annual Exam Form 2022** पर Click कर भर सकते हैं।

क्रमशः– 02 ......

- **ऐसे समस्त परीक्षार्थी जो इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए थे, उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है वें मुख्य परीक्षा 2021 के समय उपयोग की गई यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर परीक्षा फार्म भर सकेंगे।**
- **सत्र 2021–22 में प्रवेशित समस्त स्नातक प्रथम वर्ष (वार्षिक) के नियमित विद्यार्थी प्रवेश फार्म भरने के समय उपयोग की गई यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग करेंगे।**
- **ऐसे अमहाविद्यालयीन (Private) परीक्षार्थी जो इस वर्ष प्रथम बार परीक्षा फार्म भर रहें हैं, उन्हें New User Register Now पर Click कर रजिस्ट्रेशन करना होगा तत्पश्चात लागईन कर परीक्षा फार्म भर सकेंगे।**
- **परीक्षार्थी के परीक्षा फार्म रजिस्ट्रेशन एवं OTP हेतु केवल अपने मोबाईल नम्बर का ही उपयोग परीक्षा आवेदन फार्म भरने के लिए करें। (इंटरनेट कैफे व अन्य किसी व्यक्ति के मोबाईल नम्बर का उपयोग न करें।)**
- **रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात आपके इस मोबाईल नम्बर पर User ID एवं Password प्रेषित किया जावेगा। जिसे परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम अथवा अन्य परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु सुरक्षित रखें।**
- **एक बार उपयोग किए गये मोबाईल नम्बर का उपयोग किसी अन्य परीक्षार्थी के परीक्षा फार्म भरने में नहीं किया जा सकेगा।**
- **एक यूजर आई.डी. का उपयोग केवल एक परीक्षार्थी के परीक्षा आवेदन फार्म भरने के लिए किया जाये। एक आई.डी. में एक से अधिक परीक्षा आवेदन स्वीकार नहीं होगा।**
- **भविष्य में परीक्षा परिणाम की सूचना भी आपके इसी मोबाईल नम्बर पर प्रेषित की जावेगी, अतः छात्र/छात्राएं अपना मोबाईल नम्बर ही परीक्षा आवेदन फार्म में भरें।**
- **जिन कक्षाओं के पूरक/विथेल्ड/पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुए हैं, उन कक्षाओं के परिणाम जारी होने के 03 दिवस के भीतर परीक्षा आवेदन फार्म भरें। निर्धारित अंतिम तिथि तक परिणाम जारी नहीं होने की स्थिति में ऐसे परीक्षार्थियों को पृथक से परीक्षा आवेदन करने हेतु समय दिया जावेगा।**
- **परीक्षा आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया एवं निर्देश https://durg.ucanapply.com/smartexam/public/ पर उपलब्ध है, अतः परीक्षा आवेदन फार्म भरने के पूर्व इसका भलिभांति अवलोकन कर लेवें। साथ ही समस्त महाविद्यालय अपने महाविद्यालय के सूचना पटल पर मुख्य परीक्षा 2022 हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से लगवाने की व्यवस्था करावें।**
- पात्र परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी (समस्त संलग्नकों के साथ) परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षण एवं प्रमाणित कर अग्रेषित करते हुए महाविद्यालय, संबंधित परीक्षा केन्द्रों को प्रेषित करेंगे तथा परीक्षा केद्रों द्वारा उक्त आवेदन पत्रों को विश्वविद्यालय को निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 05 एवं 06 तथा अध्यादेश क्रमांक क्रमशः बी.ए. – 11, बी.एससी. –21, बी.कॉम.–23, बी.एससी (गृहविज्ञान)–27, बी.लिब एण्ड साईंस–14, बी.सी.ए.–107 तथा एम.ए.–13, एम.कॉम.–24, एम.ए./एम.एससी गणित–22 इत्यादि सभी अध्यादेश पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के ही है जिन्हें हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा अंगीकृत किया गया है, के प्रावधानों के तहत पात्र परीक्षार्थियों की हार्डकॉपी (समस्त आवश्यक संलग्नकों सहित) जमा किए गये परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षण एवं प्रमाणित कर अग्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन फार्म भरा है और निर्धारित तिथि तक यदि वह अपनी हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं करता है तो उसकी परीक्षा आवेदन करने की वैधता समाप्त हो जावेगी तथा उनके द्वारा जमा की गई परीक्षा शुल्क की राशि भी वापस नहीं की जावेगी।
- समस्त संबंधित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस अधिसूचना में दिये गये निर्देशों की जानकारी अपने महाविद्यालय के सूचना पटल पर आवश्यक रूप से चस्पा करावें तथा समस्त संबंधित परीक्षार्थियों को इससे अवगत करावें ताकि उन्हें प्रक्रिया समझने में आसानी हो सके।
- परीक्षा हेतु आवेदन करते समय आने वाली कठिनाईयों पर **हेल्पलाईन नं. 9713387094 / 7225940167** पर अथवा ई–मेल **onlinehelp@durguniversity.in** पर कार्यालयीन समय प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
- परीक्षार्थी महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन भरने के पश्चात अपनी हार्डकापी संलग्नकों सहित जमा करेंगे। संबंधित महाविद्यालय नियत तिथि तक **परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन फार्म अनिवार्य रूप से अग्रेषित कर संबंधित परीक्षा केन्द्रों में जमा करेंगे। संबधित परीक्षा केन्द्र, निर्धारित तिथि तक उक्त महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।**

- **परीक्षा शुल्क की सूची संलग्न की जा रही है। तदनुसार परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क की राशि जमा करेंगे।**
- **परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र की 01 छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे।**
- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही परीक्षार्थी उक्त परीक्षा में शामिल होंगे।
- **परीक्षार्थियों द्वारा अग्रेषण शुल्क की राशि रूपये 30/— पृथक से संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगा। जिसकी पावती परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषण शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।**
- **परीक्षार्थियों द्वारा अग्रेषण शुल्क की राशि रूपये 30/— पृथक से संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगा। जिसकी पावती महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी। जिसमें से रू. 15/— प्रति छात्र की दर से महाविद्यालयों द्वारा संबंधित परीक्षा केन्द्रों में जमा कराना होगा। संबंधित परीक्षा केन्द्र उक्त रू. 15/— का उपयोग परीक्षा के दौरान निर्धारित व्यय में करेंगे।**
- हार्डकापी जमा करने के समय किसी भी प्रकार के दस्तावेज की कमी पाये जाने पर आवेदन निरस्त हो जावेगा तथा फीस वापस नहीं होगी अतः संबंधित परीक्षार्थी इस बात का ध्यान रखें कि सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हो।
- संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित कर लेवें कि परीक्षार्थी के द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिये हैं। प्राचार्य की जिम्मेदारी है कि कृपया वे सूक्ष्मतापूर्वक परीक्षण करने के पश्चात निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में जमा करें।
- **प्रायोगिक विषय वाले कक्षाओं के लिए अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी अपना पंजीयन संबंधित महाविद्यालय में कराएंगे, पश्चात ही वे अपना परीक्षा आवेदन ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा भरेंगे।**
- **स्नातक स्तर के समस्त परीक्षार्थियों को प्रथम वर्ष में ही पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा देना अनिवार्य है।**
- **बी.ए./बी.एससी. के परीक्षार्थी एक बार भाग–1 में जिन विषयों का चयन किये है, उन्हीं विषयों का चयन भाग 02 एवं भाग 03 में करेंगे। विषय परिवर्तन करने पर परीक्षा फार्म निरस्त करने योग्य होगा।**
- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं संबंधित पाठ्यक्रमों के अध्यादेश के अनुसार अर्हतादायी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रमाण स्वरूप अर्हतादायी परीक्षा की अंकसूचियों की सत्यापित प्रतियां नियमानुसार संलग्न करें।
- समस्त परीक्षार्थी पिछली परीक्षा की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- **2021 की मुख्य परीक्षा एवं उसके पूर्व विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित न हुए हो तो गैप सर्टिफिकेट (नोटरी का शपथपत्र) की मूलप्रति संलग्न करें।**
- **जिन परीक्षार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वें निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा आवेदन पत्र के साथ इसकी मूलप्रति संलग्न करें।**
- **किसी भी परीक्षार्थी को एक सत्र में विश्वविद्यालय की एक से अधिक उपाधि/डिप्लोमा परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है।**
- **परीक्षार्थियों के ऑनलाईन फार्म भरने के समय पिता/पति के नाम के कॉलम रखे गये हैं जिसमें विवाहित महिला परीक्षार्थी जिनकी अंकसूचियों में विश्वविद्यालय की प्रक्रिया के तहत उपनाम परिवर्तन हो चुका है वे ही अपने पति का नाम अंकित करें। अमहाविद्यालयीन महिला परीक्षार्थी यदि वह नाम परिवर्तन कर रही हैं, तो नाम परिवर्तन शुल्क राशि भी ऑनलाईन से जमा करेंगे। परीक्षा आवेदन पत्र भरने के उपरांत शपथ पत्र की मूल प्रति अन्य संलग्नकों के साथ जमा करेंगे तत्पश्चात ही उपनाम परिवर्तन मान्य किया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि किसी परीक्षार्थी का गेप हो तो गेप के शपथपत्र की मूल प्रति भी जमा करना अनिवार्य होगा।**
- **नियमित परीक्षार्थी अपना नामांकन अंक दर्शाये गये निर्धारित स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करें।**
- अमहाविद्यालयीन/भूतपूर्व/पूरक परीक्षार्थियों को भी विषय/प्रश्नपत्र परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। विषय परिवर्तन करने पर परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा।
- **प्रायोगिक विषय चयन करने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना आवश्यक है कि परीक्षार्थी ने निर्धारित चार सप्ताह का प्रायोगिक कार्य पूर्ण कर लिया है। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।**
- प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रायोगिक विषय वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन, प्रायोगिक पंजीयन के बिना स्वीकार किए जाते हैं जो उचित नहीं है। अतः महाविद्यालयों में परीक्षार्थियों द्वारा पंजीयन के सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर ही उनके आवेदन स्वीकार किए जावें।

क्रमश : 04 ......

- यदि परीक्षार्थी ने पर्यावरण अध्ययन पूर्व में उत्तीर्ण कर लिया है तो प्रमाण स्वरूप उक्त अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें।
- **स्नातकोत्तर परीक्षा में मनोविज्ञान एवं भूगोल विषय का चयन करने वाले अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी पहले संबंधित महाविद्यालय में अपना प्रायोगिक परीक्षा हेतु पंजीयन करा लेने के पश्चात ही अपना ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरें।**
- **अमहाविद्यालयीन (Private) एम.ए./एम.एससी. गणित से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी स्नातक (बी.ए./बी.एससी.) स्तर पर गणित विषय से उत्तीर्ण होने पर ही पात्र होंगे।**
- **अमहाविद्यालयीन (Private) एम.ए. भूगोल से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी स्नातक (बी.ए.) स्तर पर भूगोल विषय से उत्तीर्ण होने पर ही पात्र होंगे।**
- ऑनलाईन आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की यह स्वयं की जवाबदारी है कि वह अपने शैक्षणिक अंकसूचियों/प्रमाण पत्रों की जानकारी दी है वह पूर्ण रूप से सही है तथा उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय दी गई जानकारी सही है तथा उनकी ही स्वच्छ छायाप्रति परीक्षा आवेदन पत्र के हार्डकॉपी के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। जानकारी असत्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी स्तर पर उनके परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त किए जा सकेंगे। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित छात्र की होगी।
- **प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों को अन्य महाविद्यालयों से उक्त विषय की प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। अतः परीक्षार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे संबंधित महाविद्यालय में आयोजित होने वाली प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित न रहें।**
- परीक्षार्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना एवं परीक्षा आवेदन फार्म भरने हेतु जारी आवश्यक दिशा–निर्देशों का अवलोकन अनिवार्य रूप से कर लेवें, तत्पश्चात ही परीक्षा आवेदन पत्र भरें।
- **प्रवेश पत्र जारी होने के पूर्व परीक्षार्थी के परीक्षा फार्म में हुई त्रुटियों में सुधार किया जा सकता है। प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात किसी भी प्रकार की त्रुटियों को सुधारा नहीं जायेगा। अतः परीक्षार्थी अपने परीक्षा फार्म का भलिभांति अवलोकन कर लेवें और यदि कोई त्रुटियां हो तो सुधार करने के पश्चात ही परीक्षा केन्द्र में आवेदन जमा करें।**
- **महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में बैठक क्षमता से अधिक अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के आवेदन प्राप्त होने पर अन्य महाविद्यालयों में बैठक व्यवस्था की जावेगी फलस्वरूप पात्र परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन स्वीकार किये जावे।**

पाठ्यक्रम के संबंध में आवश्यक निर्देश :–

- **New Course :-**
  1- **स्नातक तृतीय वर्ष (नियमित/स्वाध्यायी) – बी.ए./बी.एससी./बी.एससी. (गृह विज्ञान)/बी.सी.ए./बी.एससी. बी.एड./बी.ए. बी.एड.) के ऐसे परीक्षार्थी जो इस वर्ष प्रथम बार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे परीक्षार्थी New Course (2021–22) के पाठ्यक्रमानुसार ही परीक्षा फार्म भरेंगे।**
- **Old Course :-**
  1- **पूरक–द्वितीय अवसर एवं भूतपूर्व तृतीय वर्ष (नियमित/स्वाध्यायी) – बी.ए./बी.एससी./बी.एससी. (गृह विज्ञान)/बी.सी.ए./बी.एससी. बी.एड./बी.ए. बी.एड.) के परीक्षार्थी Old Course (2020–21) के पाठ्यक्रमानुसार ही परीक्षा फार्म भरेंगे।**

निवास प्रमाण पत्र :–

- अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वह विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अर्थात दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव जिले का मूल निवासी हो अथवा परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से 12 माह पहले से निवास कर रहा/रही हो।
- निवास संबंधी उक्त शर्त को पूर्ण करने के लिए परीक्षार्थी को संबंधित जिले के जिलाधीश/तहसीलदार/नायब तहसीलदार अथवा अधिकृत सक्षम अधिकारी से प्राप्त निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

क्रमश : 05 ......

- राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अथवा नेवी/आर्मी/वायुसेना के कर्मचारी उनके सक्षम अधिकारी से अनुमति पत्र प्राप्त कर संलग्न करें। उन्हें निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

परीक्षा का माध्यम :—

- परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी निर्धारित है। तदनुसार परीक्षार्थी परीक्षा का माध्यम चयन करें। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत भाषा के परीक्षार्थियों का माध्यम संस्कृत होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में संस्कृत भाषा में उत्तर देना अनिवार्य है।
- पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 15 फरवरी 2002 में लिये गये निर्णयानुसार दृष्टिहीन परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क से छुट दिया जावेगा। ऐसे परीक्षार्थी ऑनलाईन परीक्षा आवेदन करते समय दृष्टिहीन संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। उक्त दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन शुल्क वापसी हेतु आवेदन पत्र सहित परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से विश्वविद्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगा।

महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संलग्नकों सहित स्वीकार करने हेतु निर्देशः—

- विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालय जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा कक्षाओं/विषयों/छात्र संख्या के अनुसार संबद्धता प्रदान की गई है, केवल उन विषयों के ही नियमित परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन पद्धति द्वारा भराए जायेंगे।
- संबंद्ध महाविद्यालय को जिन विषयों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की गई है, उनके नियमित परीक्षार्थियों से ऑनलाईन परीक्षा आवेदन की हार्डकॉपी कदापि स्वीकार नहीं की जाए।
- परीक्षार्थियों द्वारा भरे हुए आवेदन की हार्डकॉपी को भलिभांति परीक्षणोपरांत ही विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें, अपात्र परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन यदि किसी महाविद्यालय के अग्रेषणकर्ता अधिकारी द्वारा अग्रेषित किए जाते हैं तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
- अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र संलग्नकों सहित संबंधित महाविद्यालयों में ही जमा किए जायेंगे। अन्य महाविद्यालय द्वारा ऐसे आवेदन स्वीकार न करें जिसमें संबंधित महाविद्यालय का उल्लेख न हो।

परीक्षा आवेदन पत्रों की कक्षा एवं शुल्क विवरण

(नियमित/अमहाविद्यालयीन/भूतपूर्व/पूरक परीक्षार्थियों हेतु)

क्र.	कक्षाएं जिनके परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने हैं	नियमित	अमहाविद्यालयीन	भूतपूर्व	पूरक
1	बी.ए./बी.कॉम.	1100.00	1610.00	1100.00	820.00
2	बी.एससी./बी.एससी. (गृह विज्ञान)	1130.00	1610.00	1130.00	1075.00
3	बी.सी.ए.	1810.00	——	1810.00	1075.00
4	एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी. गणित (अमहा. वार्षिक)	——	1610.00	1610.00	——
5	बी. लिब. एण्ड इन्फॉर्मेशन साईंस	1085.00	——	1085.00	——
6	बी.ए. बी.एड.	1250.00	——	1250.00	820.00
7	बी.एससी. बी.एड.	1280.00	——	1280.00	1075.00
8	पी.जी. डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट	1190.00	—	-	—

क्रमश : 06 ......

- **<u>परीक्षार्थी शुल्कः— परीक्षार्थियों को शुल्क का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से Debit/Credit/Net Banking का उपयोग कर करना होगा।</u>**
- **<u>ऑनलाईन पेमेंट करने पर आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु परीक्षार्थी हेल्पलाईन नं. 8770934818, 7770874369 पर प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।</u>**

- **परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त,अनिवार्य देय शुल्क जो कि उपरोक्त कुल परीक्षा शुल्क मे सम्मिलित हैं:—**

1. अंकसूची शुल्क — रु. 40 —सभी
2. छात्र कल्याण शुल्क — रु. 20 —सभी
3. स्थाई निधि शुल्क — रु. 10 —सभी
4. बिल्डिंग,फर्नीचर शुल्क — रु. 20 —सभी
5. भौतिक कल्याण (फिजि. वेल.) शुल्क — रु. 50 —सभी
6. केन्द्र शुल्क — रु. 60 —सभी
7. ग्रंथालय शुल्क — रु. 30 —सभी
8. कुलपति अकास्मिक सहायता निधि — रु. 10 —सभी
9. पंजीयन शुल्क — रु. 70 —अमहा.
10. अनुमति शुल्क — रु.170 —अमहा.
11. परीक्षा विकास शुल्क — रु. 30 —अमहा.

- **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17/11/2009 में पद क्रमांक 08 पर लिये गये निर्णयानुसार — "Blind,Physically Handicapped and dyslexic students appearing for the University Examination are permitted to use an amanuensis and shall be allowed an additional one- hour (6o minutes)time for each paper.**

- **आवश्यकतानुसार अन्य शुल्क निम्नानुसार देय होगा :—**

1. अप्रवासन शुल्क — रु. 360 —छ.ग. के बाहर के बोर्ड अथवा वि0वि. से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों के लिए रु. 360—विदेशी छात्रों के लिए
2. विषय/प्रश्नपत्र/संकाय परिवर्तन शुल्क — रु. 120
3. विवाहोपरांत नाम/उपनाम शुल्क (केवल महिलाओं के लिए) — रु. 180
4. अतिरिक्त विषय(पर्यावरण अध्ययन) — रु.180 स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में पर्यावरण अध्ययन विषय लेने पर अतिरिक्त विषय के रुप में शुल्क देना होगा।
5. **श्रेणी सुधार शुल्क — निर्धारित शुल्क से — दुगुना**
6. **लघुशोध प्रबंध/प्रोजेक्ट (अनि. विषय) — एम.ए./एम.एस —सी/एम.कॉम. —रु. 240**
7. **त्रुटि सुधार शुल्क —रु.120**

<u>अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए आवश्यक टीपः—</u>

1. पात्र परीक्षार्थियों की हार्ड कॉपी (समस्त संलग्नकों के साथ) परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षण एवं प्रमाणित कर अग्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. जिन नियमित परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित किए जायें उनकी कक्षा में उपस्थिति 75% होना अनिवार्य है।
3. परीक्षा शुल्क सूची/गोसवारा (न्यूमेरिकल रिटर्न)/नॉमिनल रोल प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in से डाउनलोड कर प्रयोग में लाया जाना है।
4. परीक्षार्थियों की पूर्व परीक्षाओं की स्व—प्रमाणित अंकसूचियाँ (यदि मूल अंकसूची अप्राप्त हो तो इंटरनेट से प्राप्त की गई अंकसूची) अनिवार्यतः संलग्न करवा कर ही आवेदन पत्र अग्रेषित किए जायें।
5. यदि अग्रेषणकर्ता अधिकारी द्वारा किसी परीक्षार्थी के आवेदन पत्र की हार्डकॉपी को पात्रता न होने पर भी अग्रेषित कर दिया जाता है तथा विश्वविद्यालय द्वारा बाद में परीक्षण किए जाने पर परीक्षार्थी का आवेदन निरस्त किया जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व अग्रेषणकर्ता अधिकारी का होगा।
6. **<u>परीक्षा केन्द्र द्वारा अग्रेषित समस्त परीक्षा आवेदन फार्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में ही जमा किए जायेंगे।</u>**

क्रमश : 07 ......

7. <u>उपरोक्त अंतिम तिथि के पश्चात परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने पर संबंधित परीक्षा केन्द्र को रू. 1000/— प्रतिदिन विलंब शुल्क देना होगा। यह सुविधा केवल 04 दिनों तक रहेगी। इसके पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र की हार्डकॉपी विश्वविद्यालय में जमा नहीं किए जा सकेंगे।</u>

<u>अग्रेषणकर्ता अधिकारी के कार्यालय हेतु</u>

महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य परीक्षार्थियों द्वारा जमा कराई गई कुल परीक्षा शुल्क की राशि का विवरण, गोसवारा, न्यूमेरिकल रिटर्न प्रपत्र एवं परीक्षार्थियों द्वारा जमा की गई हार्ड कापी (संलग्नकों सहित) दिनांक **07.02.2022** तक संबंधित परीक्षा केन्द्रों में अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित परीक्षा केन्द्र दिनांक **10.02.2022** तक उक्त आवेदनों को विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

for,

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र.1360 /परीक्षा/वार्षिक/21—22 दुर्ग, दिनांक : 28/12/2021

प्रतिलिपिः—

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक—सी—30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
4. जिलाधीश, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम।
5. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम।
6. वित्त अधिकारी/उ.कु.स. अकादमिक/स. कु. स्थापना/गोपनीय एवं संबंधित परीक्षा कार्य सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
7. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
8. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
9. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।
10. संपादक, समस्त स्थानीय समाचार पत्र, दुर्ग/बेमेतरा/बालोद/राजनांदगांव/कबीरधाम को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

उपकुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम– दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.).491001

ई मेल : registrar@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359100

// अधिसूचना //

क्रमांक 1265/नामांकन/2021 दुर्ग, दिनांक 11.10.2021

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के शैक्षणिक सत्र 2021–22 के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/सेमेस्टर के नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं के लिए नामांकन आवेदन फार्म ऑनलाईन पद्धति द्वारा विश्वविद्यालय के वेबसाइट **www.durguniversity.ac.in** के माध्यम से भरने एवं नामांकन शुल्क की **राशि रू. 150/–** सहित जमा करने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

(नामांकन शुल्क – ए.टी.एम. कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/यू.पी.आई. के माध्यम से जमा किए जायेंगे।)

क्र.	नामांकन फार्म एवं शुल्क	दिनांक
1.	ऑनलाईन द्वारा शुल्क सहित आवेदन करने की तिथि	**14.10.2021 से 31.10.2021 तक**
2.	ऑनलाईन नामांकन आवेदन की हार्डकॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	**01.11.2021 तक**
3.	महाविद्यालय द्वारा समस्त विद्यार्थियों के नामांकन आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	**02.11.2021 तक**

टीपः–1. नामांकन फार्म www.durguniversity.ac.in ⟶ Quick Links ⟶ Online Enrollment Form 2021-22 पर Click कर भरे जा सकते हैं।

2.विद्यार्थी, https://durg.ucanapply.com/smartexam/public/student के माध्यम से भी ऑनलाईन नामांकन आवेदन फार्म भर सकते हैं।

निर्देशः–

1. परीक्षार्थियों को नामांकन आवेदन की हार्डकॉपी संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। आवेदन की हार्डकापी महाविद्यालयों में जमा करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
2. छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं से अप्रवासन शुल्क राशि रू. 360/– शुल्क लिया जाना है।
3. CBSE बोर्ड से उत्तीर्ण ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में स्थित किसी विद्यालय से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें अप्रवासन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
4. ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने नाम/उपनाम परिवर्तन कराया है उन्हें विश्वविद्यालय में नाम/उपनाम परिवर्तन शुल्क रू. 180/– राशि के साथ आवेदन करना होगा। इस संबंध में विद्यार्थियों को नामांकन फार्म संबंधित महाविद्यालय में शपथपत्र की मूलप्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. नामांकन हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के सम्बद्ध दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद एवं कवर्धा (कबीरधाम) में स्थित महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों द्वारा भरा जाना है।
6. **नामांकन फार्म भरने के लिए छात्रों को प्रवेश आवेदन फार्म 2021–22 के समय उपयोग की गई यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड का उपयोग करना होगा। नामांकन फार्म हेतु नवीन रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है।**
7. कृपया ध्यान रखें कि यदि छात्र/छात्रा द्वारा इस विश्वविद्यालय से पूर्व में नामांकन कराया गया है तो उन्हें पुनः नामांकन आवेदन फार्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
8. **स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेशित ऐसे छात्र जो पूर्व में अमहाविद्यालयीन (स्वाध्यायी) छात्र के रूप में सम्मिलित हुए थे तथा इस वर्ष नियमित प्रवेश लिए हैं उनके नामांकन फार्म भी ऑनलाईन माध्यम से भराए जायेंगे।**
9. छात्र–छात्राएँ ऑनलाईन नामांकन फार्म भरने में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर मोबाईल नं. 9713387094/7225940167 (प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:30 बजे के मध्य) एवं ई–मेल onlinehelp@durguniversity.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कुलपति महोदया के आदेशानुसार

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमशः...... 02

पृ.क्र.1266/नामांकन/2021 दुर्ग, दिनांक 11.10.2021

प्रतिलिपिः—

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक—सी—30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
4. वित्त अधिकारी/उपकुलसचिव/सहा. कुलसचिव, अकादमिक/गोपनीय/परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
5. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
6. प्राचार्य, संबद्ध समस्त महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
7. माननीय कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के सूचनार्थ।
8. संपादक, समस्त स्थानीय समाचार पत्र, दुर्ग/बेमेतरा/बालोद/राजनांदगांव/कबीरधाम को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में इसे समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. मैनेजर, लर्निंग स्पाइरल प्रा.लि. को सूचनार्थ।

उपकुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम– दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.).491001

ई मेल : registrar@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359100

क्र. 1245/पूरक/परीक्षा /2021 दुर्ग, दिनांक 08.09.2021

//अधिसूचना//

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) से मुख्य परीक्षा 2020–21 में शामिल ऐसे परीक्षार्थी जिन्हें स्नातक स्तर की कक्षाओं यथा–बी.ए./बी.एससी./बी.एससी. (गृह विज्ञान)/बी.सी.ए./ बी.कॉम. भाग–01, 02 एवं 03 तथा बी.एससी.बी.एड. व बी.ए. बी.एड. भाग–01, 02, 03 एवं 04 के परीक्षा परिणाम में पूरक की पात्रता प्राप्त हुई है उनके लिए विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.durguniversity.ac.in के माध्यम से पूरक परीक्षा–2021 हेतु परीक्षा आवेदन फार्म भराया जाना है, जिसकी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

1. **परीक्षा आवेदन:–**

क्र.	विवरण	निर्धारित तिथि
01	जिन परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं उनके ऑनलाईन परीक्षा आवेदन करने की तिथि	10.09.2021 से 16.09.2021
02	परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा आवेदन की हार्डकॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	17.09.2021 तक
03	महाविद्यालयों द्वारा समस्त परीक्षा आवेदन को विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	21.09.2021 तक
04	जिन परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं उनके परीक्षा आवेदन फार्म परिणाम जारी होने के पश्चात 07 दिवस तक भरे जा सकेंगे।	

2. **परीक्षा शुल्क :–**

- **समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में रू. 100/– का भुगतान करना होगा।**
- विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15 फरवरी 2002 मे लिये गये निर्णयानुसार दृष्टिहीन परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट दिया जावेगा।

3. **परीक्षार्थियों के लिए निर्देश:–**

- परीक्षार्थियों को कोविड–19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाईन पद्धति से परीक्षा आवेदन करना होगा।
- परीक्षार्थी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.durguniversity.ac.in के माध्यम से परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाईन पद्धति से जमा करेंगे।
- परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.durguniversity.ac.in ⇨ Quick Links ⇨ Online Exam Form :- Supplementary Exam 2021 ⇨ Student Login कर पूर्व में उपयोग की गई अर्थात (मुख्य परीक्षा 2021) की यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से परीक्षा फार्म भरेंगे।
- परीक्षार्थी https://durg.ucanapply.com/smartexam/public/ के माध्यम से भी परीक्षा आवेदन फार्म भर सकते हैं।
- यदि परीक्षार्थी अपना आई.डी. अथवा पासवर्ड भूल गये हैं तो वे Forget Password के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- जिन कक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, उनके संबंधित परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा परिणाम जारी होने के 07 दिवसों के भीतर ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

- परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा 2021 के परीक्षा परिणाम की इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- परीक्षार्थी की आई.डी. पर ऑनलाईन किए गये परीक्षा आवेदन की एक प्रति Save रहेगी जिसे वे आवश्यकता पड़ने पर कभी भी प्रिंट निकाल सकते हैं।
- यदि ऑनलाईन परीक्षा फार्म भरते समय किसी प्रकार की समस्या आती है तो परीक्षार्थी विश्वविद्यालय के हेल्पलाईन नं. 9713387094 / 7225940167 पर फोन के माध्यम से अथवा onlinehelp@durguniversity.in पर ई–मेल कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
- परीक्षार्थियों हेतु प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाईड www.durguniversity.ac.in के Quick links पर समय सारिणी अनुसार अपलोड किया जाएगा।
- परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र से विषय का मिलान कर संबधित प्रश्न प्रत्र को ही हल करें।

4. **महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र के लिए निर्देशः–**

- कोविड–19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र शासन द्वारा जारी गाईडलाईन्स का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- परीक्षार्थी द्वारा जमा की गई ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र की एक प्रति संबंधित महाविद्यालय के पोर्टल पर भी अपलोड हो जायेगी। जिसका अवलोकन संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। कोविड–19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों से परीक्षा आवेदन की हार्डकॉपी महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र में जमा करना अनिवार्य है।
- महाविद्यालय परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म की जांच एवं संबंधित पाठ्यक्रमों के संबंधित अध्यादेश के प्रावधानों के तहत पात्र परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र (आवश्यक दस्तावेजों सहित) परीक्षण एवं प्रमाणित कर अग्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।
- जिन कक्षा / विषयों की सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं है, उनके परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित न किए जाएं।
- गोसवारा / नामिनल रोल विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.durguniversity.ac.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।
- यदि अग्रेषणकर्ता अधिकारी द्वारा किसी परीक्षार्थी के पात्रता न होने पर भी उनके परीक्षा आवेदन अग्रेषित कर दिए जाते हैं एवं विश्वविद्यालय द्वारा बाद में परीक्षणोपरांत उसका परीक्षा आवेदन निरस्त कर दिया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी अग्रेषणकर्ता अधिकारी की होगी, परंतु यदि ऐसे अपात्र परीक्षार्थी किसी प्रकार से परीक्षा में शामिल हो जाते हैं तो उनके परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिये जायेंगे।

माननीय कुलपति महोदया के आदेशानुसार

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय

पृ.क्र.1246 / पूरक / परीक्षा / 2021 — दुर्ग, दिनांक 08.09.2021

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय / तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण / वित्त अधिकारी / उ.कु.स. परीक्षा / अकादमिक / गोपनीय एवं संबंधित परीक्षा कार्य सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
5. प्राचार्य, संबंधित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।
7. संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र / पत्रिकाएं दुर्ग / बेमेतरा / राजनांदगांव / कबीरधाम / बालोद को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्रों के आगामी अंक में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय